संख्या–1051/उन्तीस(1)/2011–(36अधि0)11

प्रेषक,

उत्पल कुमार सिंह,
प्रमुख सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

प्रभारी प्रबन्ध निदेशक,
उत्तराखण्ड पेयजल निगम,
देहरादून।

पेयजल अनुभाग – 1 देहरादून : दिनांक 13. अक्टूबर 2011

विषय :– उत्तराखण्ड पेयजल निगम में विभागीय सेवा विनियमावली में छूट प्रदान किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक कृपया अपने कार्यालय पत्रांक 252/प्र0नि0कैम्प–गो0 उत्तराखण्ड शासन/11, दिनांक 27.09.2011 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा उत्तराखण्ड पेयजल निगम में कनिष्ठ अभियन्ता से सहायक अभियन्ता के पद पर तथा अन्य समस्त वर्गों में पदोन्नति किये जाने हेतु उत्तर प्रदेश जल निगम अभियन्ता (सार्वजनिक स्वास्थय शाखा) सेवा विनियमावली–1978 में विहित सेवा अवधि में कार्मिक विभाग के शासनादेश दिनांक 23.11.2010 के क्रम में छूट प्रदान किये जाने का अनुरोध करते हुये इस हेतु गठित समिति की संस्तुति से शासन को अवगत कराया गया है।

2. इस सम्बन्ध में सम्यक विचारोपरान्त मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उत्तराखण्ड सरकारी सेवक पदोन्नति के लिए अर्हकारी सेवा में शिथिलीकरण नियमावली, 2010 को उत्तराखण्ड पेयजल निगम में लागू किये जाने की स्वीकृति इस प्रतिबन्ध के साथ प्रदान की जाती है कि उक्त शिथिलीकरण के फलस्वरूप उत्तराखण्ड पेयजल निगम के कार्मिकों की पदोन्नतियाँ मा0 उच्च न्यायालय, नैनीताल में दायर रिट याचिका संख्या 45/(एस0/बी0)/2011 विनोद प्रकाश नौटियाल व अन्य बनाम उत्तराखण्ड राज्य व अन्य में पारित होने वाले अंतिम निर्णय के अधीन रहेगी और विषयगत याचिका में किसी असंगत निर्णय होने की स्थिति में जिस सीमा तक यह असंगति होगी उस सीमा तक इस प्रकार की गयी पदोन्नतियाँ स्वतः ही निरस्त हुई मानी जायेगी।

कृपया उपरोक्तानुसार कार्यवाही सुनिश्चित करने का कष्ट करें।

भवदीय,

(उत्पल कुमार सिंह)
प्रमुख सचिव।

1770

कार्यालय 2678078
2672404
फैक्स 0135 [illegible]
ई-मेल upsvnn[illegible]@gmail.com

उत्तराखण्ड पेयजल संसाधन विकास एवं निर्माण निगम

प्रधान कार्यालय : 11-मोहिनी रोड, देहरादून

पत्रांक 18 / बोर्ड बैठक (सेवाविनियमावली)/11 दिनांक 16/1/12

01
203
[illegible]/निगमादेश
20/1/12

कार्यालय ज्ञाप

उत्तराखण्ड शासन के पत्र सं0 1415/उन्तीस (1)/2011-(34अधि0)/07 दिनॉक 23.12.2011 द्वारा प्रदत्त स्वीकृति एवं उत्तराखण्ड (उ0प्र0 जल सम्भरण एवं सीवरेज व्यवस्था अधिनियम-1975) अनुकूलन एवं उपान्तरण आदेश-2002 की धारा-97 में निहित प्राविधानानुसार उत्तराखण्ड पेयजल निगम, निदेशक मण्डल की 12वीं बोर्ड बैठक के प्रस्ताव सं0 12.15 पर लिये गये निर्णय के क्रम में उत्तराखण्ड पेयजल निगम के अभियन्ताओं पर लागू होने वाली *उत्तराखण्ड पेयजल संसाधन विकास एवं निर्माण निगम अभियन्ता सेवा विनियमावली-2011* एतद् द्वारा संलग्नक के अनुसार प्रख्यापित की जाती हैं।

उक्त सेवा विनियमावली तुरन्त से लागू मानी जायेगी।

(भजन सिंह)
प्रबन्ध निदेशक

पृ0सं0 एवं दिनॉक तदैव:

प्रतिलिपि संलग्नक सहित निजी सचिव, प्रमुख सचिव (पेयजल), उत्तराखण्ड शासन, देहरादून को शासन के उपरोक्त संदर्भित पत्र दिनॉक 23.12.2011 के संदर्भ में प्रमुख सचिव महोदय के संज्ञानार्थ प्रेषित।

संलग्नक:-उपरोक्तानुसार

प्रबन्ध निदेशक

पृ0सं0 एवं दिनॉक तदैव:

प्रतिलिपि संलग्नक सहित निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. निजी सचिव, अध्यक्ष, उत्तराखण्ड पेयजल निगम, देहरादून।
2. निजी सचिव, प्रबन्ध निदेशक/ वित्त निदेशक, उत्तराखण्ड पेयजल निगम, देहरादून।
3. मुख्य अभियन्ता (गढ़0/कु0/मु0), उत्तराखण्ड पेयजल निगम, पौडी/ [illegible] / देहरादून।
4. मुख्य महाप्रबन्धक, निर्माण विंग, उत्तराखण्ड पेयजल निगम, देहरादून।
5. समस्त अधीक्षण अभियन्ता/ [illegible], उत्तराखण्ड पेयजल निगम, [illegible]
6. समस्त अधिशासी अभियन्ता/ [illegible] [illegible]
7. गार्ड फाईल।

संलग्नक:-उपरोक्तानुसार

[illegible]

संख्या–1415/उन्तीस(1)/2011–(34 अधि0)07

प्रेषक,

उत्पल कुमार सिंह,
प्रमुख सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

प्रभारी प्रबन्ध निदेशक,
उत्तराखण्ड पेयजल निगम,
देहरादून।

पेयजल अनुभाग –1 देहरादून : दिनांक 23 दिसम्बर 2011

विषय :– उत्तराखण्ड पेयजल संसाधन विकास एवं निर्माण निगम अभियंता सेवा विनियमावली, 2011 के प्रख्यापन के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्रांक 380/मु0अ0(मु0)सेवा विनियमावली, दिनांक 05.07.2007 का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें।

2. उत्तराखण्ड पेयजल संसाधन विकास एवं निर्माण निगम अभियंता सेवा विनियमावली, 2011 की अनुमोदित प्रति संलग्न कर प्रेषित करते हुये मुझे यह कहनें का निदेश हुआ है कि उक्त विनियमावली के प्रख्यापन की कार्यवाही कर प्रख्यापित विनियमावली की एक प्रति तथा विनियमावली के अंग्रेजी रूपान्तरण की हार्ड एण्ड साफ्ट कॉपी शासन को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

संलग्न :– यथोपरि।

भवदीय,

(उत्पल कुमार सिंह)
प्रमुख सचिव।

उत्तराखण्ड पेयजल संसाधन विकास एवं निर्माण निगम
प्रधान कार्यालय : 11–मोहिनी रोड, देहरादून.
संख्या : /2011
देहरादून : दिनाँक : 2011

अधिसूचना

उत्तराखण्ड (उत्तर प्रदेश जल सम्भरण एवं सीवर व्यवस्था अधिनियम, 1975) अनुकूलन एवं उपान्तरण आदेश, 2002 की धारा 97 की उपधारा (1) तथा उपधारा (2) के खण्ड (ग) के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करके इस विषय में विद्यमान समस्त आदेशों एवं विनियमों का अधिक्रमण करते हुए तथा राज्य सरकार के पूर्वानुमोदन से उत्तराखण्ड पेयजल संसाधन विकास एवं निर्माण निगम अभियंता सेवा में पदों पर भर्ती तथा उन पर नियुक्त व्यक्तियों के वेतन एवं सेवा शर्तों को विनियमित करने हेतु निम्नलिखित विनियमावली विनियमित करता है :–

उत्तराखण्ड पेयजल संसाधन विकास एंव निर्माण निगम अभियंता सेवा विनियमावली, 2011

भाग–एक : सामान्य

संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ

1. (1) इस विनियमावली का संक्षिप्त नाम उत्तराखण्ड पेयजल संसाधन विकास एवं निर्माण निगम अभियंता सेवा विनियमावली, 2011 है।
(2) यह तुरन्त प्रवृत्त होगी।

सेवा की प्रास्थिति

2. उत्तराखण्ड पेयजल संसाधन विकास एवं निर्माण निगम अभियंता सेवा एक ऐसी सेवा है, जिसमें समूह 'क' तथा 'ख' के पद समाविष्ट हैं।

परिभाषाएं

3. जब तक कि विषय या संदर्भ मे कोई प्रतिकूल बात न हो, इस विनियमावली में :–
(1) "संविधान" से "भारत का संविधान" अभिप्रेत है;
(2) "भारत का नागरिक" से ऐसा व्यक्ति अभिप्रेत है, जो "भारत का संविधान" के भाग–दो के अधीन भारत का नागरिक हो या भारत का नागरिक समझा जाये;
(3) "राज्य सरकार" से उत्तराखण्ड राज्य की सरकार अभिप्रेत है;
(4) "राज्यपाल" से उत्तराखण्ड का राज्यपाल अभिप्रेत है;
(5) "निगम" अथवा "उत्तराखण्ड पेयजल निगम" से उत्तराखण्ड पेयजल संसाधन विकास एवं निर्माण निगम अभिप्रेत है;

(6) "**अध्यक्ष**" से अध्यक्ष, उत्तराखण्ड पेयजल संसाधन विकास एवं निर्माण निगम अभिप्रेत है;

(7) "**प्रबन्ध निदेशक**" से प्रबन्ध निदेशक, उत्तराखण्ड पेयजल संसाधन विकास एवं निर्माण निगम अभिप्रेत है;

(8) "**मुख्य अभियन्ता**" से मुख्य अभियन्ता (मुख्यालय), क्षेत्रीय मुख्य अभियन्ता, पौड़ी/नैनीताल एवं मुख्य अभियन्ता (निर्माण) देहरादून उत्तराखण्ड पेयजल संसाधन विकास एवं निर्माण निगम अभिप्रेत है;

(9) "**नियुक्ति प्राधिकारी**" से मुख्य अभियन्ता तथा अधीक्षण अभियन्ता के लिए अध्यक्ष, उत्तराखण्ड पेयजल संसाधन विकास एवं निर्माण निगम से तथा अधिशासी अभियंता, सहायक अभियंता के लिए प्रबन्ध निदेशक, उत्तराखण्ड पेयजल संसाधन विकास एवं निर्माण निगम अभिप्रेत है;

(10) "**चयन समिति**" से विनियमावली के विनियम 17 द्वारा गठित चयन समिति अभिप्रेत है;

(11) "**सेवा का सदस्य**" से इस विनियमावली के या इस विनियमावली के प्रारम्भ होने के पूर्व प्रवृत्त नियमों या आदेशों के अधीन मौलिक रूप से नियुक्त व्यक्ति अभिप्रेत है;

(12) "**मौलिक नियुक्ति**" से सेवा के संवर्ग में किसी पद पर ऐसी नियुक्ति अभिप्रेत है, जो तद्र्थ नियुक्ति न हो और नियमों के अनुसार चयन के पश्चात् की गयी हो और यदि कोई नियम न हो तो सरकार द्वारा जारी किये गये कार्यपालक अनुदेशों द्वारा तत्समय विहित प्रकिया के अनुसार की गई हो;

(13) "**आयोग**" से उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग अभिप्रेत है;

(14) "**सीधी भर्ती**" से विनियम 5 (क)(एक) द्वारा विहित भर्ती अभिप्रेत है;

(15) "**सेवा**" से उत्तराखण्ड पेयजल संसाधन विकास एवं निर्माण निगम, अधीनस्थ अभियन्त्रण सेवा अभिप्रेत है;

(16) "**भर्ती का वर्ष**" से किसी चयन वर्ष की पहली जुलाई से प्रारम्भ होने वाली बारह मास की अवधि अभिप्रेत है;

(17) "**मण्डल**" से उत्तराखण्ड पेयजल संसाधन विकास एवं निर्माण निगम का अधीक्षण अभियंता/महाप्रबन्धक कार्यालय अभिप्रेत है;

(18) "**शाखा/ईकाई**" से उत्तराखण्ड पेयजल संसाधन विकास एवं निर्माण निगम का अधिशासी अभियंता कार्यालय अभिप्रेत है।

भाग–दो : संवर्ग

सेवा का संवर्ग

4. (1) सेवा के संवर्ग में विभिन्न पदों का वेतनमान समय–समय पर अवधारित किया जायेगा।

(2) इस विनियमावली के प्रारम्भ के समय प्रवृत्त वेतनमान/पदों की संख्या परिशिष्ट 'क' में दी गई है :

परन्तु यह कि :–

(क) निगम इस संवर्ग मे किसी रिक्त पद को बिना भरे छोड सकता है या आस्थगित रख सकता है, जिसके लिए कोई व्यक्ति प्रतिकर का हकदार नहीं होगा; तथा

(ख) संवर्ग में ऐसे पद नाम सहित अतिरिक्त स्थायी या अस्थायी पदों का सृजन राज्य सरकार के पूर्वानुमोदन से कर सकता है, जिन्हें वह आवश्यक समझे।

भाग–तीन : भर्ती

भर्ती का स्रोत

5. (1) विनियम 6, 17 और 18 के उपबन्धों के अधीन रहते हुये, सेवा में भर्ती निम्नलिखित स्रोतों से की जायेगी :–

(क) सहायक अभियन्ता (सिविल) एवं (विद्युत/यॉत्रिक)

(एक) 39 प्रतिशत पद आयोग के माध्यम से सीधी भर्ती के द्वारा।

टिप्पणी :– सहायक अभियन्ता के रूप में प्रारम्भिक भर्ती केवल अस्थायी पदों के प्रति की जायेगी :

परन्तु यह कि नियुक्ति प्राधिकारी, विनियमावली के प्रख्यापन के दिनांक को निगम में प्रतिनियुक्ति पर तैनात मौलिक रूप से नियुक्त सहायक अभियन्ताओं, जो प्रतिनियुक्ति की तिथि से निरन्तर कार्यरत हों और पद की शैक्षिक अर्हता धारित करते हों, का संविलियन निर्धारित मानकों के अन्तर्गत, जैसा कि राज्य सरकार विहित करे, सीधी भर्ती के रिक्त पदों के विरूद्व कर सकेगा।

टिप्पणी :– प्रतिनियुक्ति पर पदस्थ व्यक्तियों को नियुक्ति से पूर्व किसी चयन परीक्षा में सम्मिलित होने की अपेक्षा नियुक्ति प्राधिकारी नहीं करेगा। शेष पद आयोग के परामर्श से पदोन्नति द्वारा निम्न प्रकार से भरे जायेंगे :

(दो)(1) 50 प्रतिशत पद, मौलिक रूप से नियुक्त ऐसे कनिष्ठ/अपर सहायक अभियन्ता (सिविल, विद्युत/यॉत्रिक) में से जिन्होने भर्ती के वर्ष के प्रथम दिवस को इस रूप में कुल 10 वर्ष की सेवा पूरी कर

ली हो तथा कनिष्ठ/अपर सहायक अभियन्ता के रूप में की गयी सेवा में से कम से कम 05 वर्ष की सेवा *'उत्तराखण्ड लोक सेवकों के लिए वार्षिक स्थानान्तरण विधेयक, 2011'* के अनुसार परिभाषित दुर्गम क्षेत्र में की हो, में से अनुपयुक्त को अस्वीकार करते हुये पदोन्नति द्वारा।

(2) 8.33 प्रतिशत पद पर, मौलिक रूप से नियुक्त ऐसे कनिष्ठ/अपर सहायक अभियन्ता (सिविल/विद्युत यॉंत्रिक) जिन्होंने चयन वर्ष के प्रथम दिवस को इस रूप में 10 वर्ष की निरन्तर सेवा पूर्ण कर ली हो, जिसमें से कम से कम 02 वर्ष 06 माह की सेवा *'उत्तराखण्ड लोक सेवकों के लिए वार्षिक स्थानान्तरण विधेयक, 2011'* के अनुसार परिभाषित दुर्गम क्षेत्र में की हो, और जिन्होंने चयन के 10 वर्ष के भीतर किसी मान्यता प्राप्त संस्था से सिविल–अभियन्त्रण या विद्युत/यॉंत्रिक अभियन्त्रण में स्नातक की उपाधि निगम की पूर्वानुमति से प्राप्त कर ली, हो, या इंस्टीट्यूशन ऑफ इंजीनियर्स (इण्डिया) (सिविल या विद्युत/यॉंत्रिक इंजीनियरिंग ब्रॉंच) को एसोशिएट मेम्बर हो, में से, अनुपयुक्त को अस्वीकार करते हुए ज्येष्ठता के आधार पर की जायेगी। यदि किसी चयन वर्ष में ऐसे कनिष्ठ/अपर सहायक अभियन्ता उपलब्ध न हों तो, उक्त कोटे के शेष रिक्त पद नियम 5(क)(दो)(1)' की व्यवस्थानुसार सामान्य, कनिष्ठ/अपर सहायक अभियन्ताओं से पद्दोन्नति द्वारा भरे जायेंगे।

(3) 2.67 प्रतिशत पद, मौलिक रूप से नियुक्त ऐसे संगणकों में से जिन्होंने भर्ती के वर्ष के प्रथम दिवस को इस रूप में 05 वर्ष की सेवा पूर्ण कर ली हो, जिसमें से कम से कम 02 वर्ष 06 माह की सेवा *'उत्तराखण्ड लोक सेवकों के लिए वार्षिक स्थानान्तरण विधेयक, 2011'* के अनुसार परिभाषित दुर्गम क्षेत्र में की हो, में से अनुपयुक्त को अस्वीकार करते हुए ज्येष्ठता के आधार पर पदोन्नति द्वारा।

टिप्पणी :– परन्तु यह भी कि सहायक अभियन्ता के पद पद पदोन्नति हेतु सेवा अवधि की संगणना कनिष्ठ अभियन्ता के पद पर की गयी सेवा,, जहाँ अपर सहायक अभियन्ता के पद पर पदोन्नति की गयी

हो, वहाँ कनिष्ठ अभियन्ता तथा अपर सहायक अभियन्ता के पद पर की गयी सेवा अवधि आगणित कर की जायेगी।

(ख) (एक) अधिशासी अभियन्ता (सिविल)

ऐसे स्थायी सहायक अभियन्ता (सिविल) में से पदोन्नति द्वारा जो उस चयन वर्ष, जिसमे भर्ती की जाये, की पहली जुलाई को उत्तराखण्ड पेयजल निगम में सहायक अभियन्ता के रूप में कम से कम 7 वर्ष की निरन्तर सेवा पूर्ण चुके हों, जिसमें से कम से कम 02 वर्ष की सेवा *'उत्तराखण्ड लोक सेवकों के लिए वार्षिक स्थानान्तरण विधेयक, 2011'* के अनुसार परिभाषित दुर्गम क्षेत्र में की हो, अथवा मुख्यालय/क्षेत्रीय या मण्डल कार्यालयों या प्रधान कार्यालय में न्यूनतम 03 वर्ष की सेवा अवधि पूर्ण कर ली हो, में से अनुपयुक्त को अस्वीकार करते हुए ज्येष्ठता के आधार पर पदोन्नति द्वारा।

(दो) अधिशासी अभियन्ता (विद्युत/यॉत्रिक)

ऐसे स्थायी सहायक अभियन्ता (विद्युत/यॉत्रिक) में से पदोन्नति द्वारा जो उस चयन वर्ष, जिसमें भर्ती की जाये, की पहली जुलाई को उत्तराखण्ड पेयजल निगम में सहायक अभियन्ता के रूप मे कम से कम 7 वर्ष की निरन्तर सेवा पूर्ण कर चुके हों, जिसमें से कम से कम 02 वर्ष की सेवा *'उत्तराखण्ड लोक सेवकों के लिए वार्षिक स्थानान्तरण विधेयक, 2011'* के अनुसार परिभाषित दुर्गम क्षेत्र में की हो, अथवा मुख्यालय/क्षेत्रीय या मण्डल कार्यालयों या प्रधान कार्यालय में न्यूनतम 03 वर्ष की सेवा अवधि पूर्ण कर ली हो, में से अनुपयुक्त को अस्वीकार करते हुए ज्येष्ठता के आधार पर पदोन्नति द्वारा।

(ग)(एक) अधीक्षण अभियन्ता (सिविल)

ऐसे अधिशासी अभियन्ता (सिविल) में से जिन्होंने चयन वर्ष, जिसमें भर्ती की जाये, की पहली जुलाई को उत्तराखण्ड पेयजल निगम में सहायक अभियन्ता और अधिशासी अभियन्ता के रूप मे कम से कम 15 वर्ष की निरन्तर सेवा पूर्ण कर ली हो, जिसमें अधिशासी अभियन्ता के रूप में कम से कम 05 वर्ष की सेवा अनिवार्य रूप से पूर्ण कर ली हो और जिसमें से कम से कम 02 वर्ष की सेवा *'उत्तराखण्ड लोक सेवकों के लिए वार्षिक स्थानान्तरण*

विधेयक, 2011 के अनुसार परिभाषित दुर्गम क्षेत्र मे की हो, अथवा मुख्यालय/क्षेत्रीय या मण्डल कार्यालयों या प्रधान कार्यालयों में न्यूनतम 03 वर्ष की सेवा अवधि पूर्ण कर ली हो, मे से अनुपयुक्त को अस्वीकार करते हुए श्रेष्ठता के आधार पर पदोन्नति द्वारा।

(दो) अधीक्षण अभियन्ता (विद्युत/यॉत्रिक)

ऐसे अधिशासी अभियन्ता (विद्युत/यॉत्रिक) में से, जिन्होंने उस चयन वर्ष, जिसमें भर्ती की जाये, की पहली जुलाई को उत्तराखण्ड पेयजल निगम में सहायक अभियन्ता और अधिशासी अभियन्ता के रूप मे कम से कम 15 वर्ष की निरन्तर सेवा पूर्ण कर ली हो, जिसमें अधिशासी अभियन्ता के रूप में कम से कम 05 वर्ष की सेवा अनिवार्य रूप से पूर्ण कर ली हो और जिसमें से कम से कम 02 वर्ष की सेवा *'उत्तराखण्ड लोक सेवकों के लिए वार्षिक स्थानान्तरण विधेयक, 2011'* के अनुसार परिभाषित दुर्गम क्षेत्र में की हो, अथवा मुख्यालय/क्षेत्रीय या मण्डल कार्यालयों या प्रधान कार्यालयों में न्यूनतम 03 वर्ष की सेवा अवधि पूर्ण कर ली हो, में से अनुपयुक्त को अस्वीकार करते हुए श्रेष्ठता के आधार पर पदोन्नति द्वारा।

(घ) मुख्य अभियन्ता स्तर–।।

अधीक्षण अभियन्ता (सिविल/वि0यॉ0) में से चयन द्वारा

ऐसे अधीक्षण अभियन्ता (सिविल) में से, जिन्होंने उस चयन वर्ष जिसमें भर्ती की जाये, के प्रथम दिवस को उत्तराखण्ड पेयजल संसाधन विकास एवं निर्माण निगम में अधीक्षण अभियन्ता के रूप में 02 वर्ष की सेवा पूर्ण कर ली हो और जिन्होंने सहायक अभियन्ता, अधिशासी अभियन्ता एवं अधीक्षण अभियन्ता के पद पर कम से कम 20 वर्ष की सेवा अनिवार्य रूप से पूर्ण कर ली हो, श्रेष्ठता के आधार पर पदोन्नति द्वारा।

परन्तु मुख्य अभियन्ता (मुख्यालय) के पद पर अधीक्षण अभियन्ता (सिविल एवं विद्युत/यॉत्रिक) दोनों, जो विहित अर्हता रखते हों, पात्र होंगे।

आरक्षण 6 उत्तराखण्ड राज्य की अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्ग तथा अन्य श्रेणियों के अभ्यर्थियों के लिये आरक्षण, भर्ती के समय, प्रवृत सरकार के आदेशों के अनुसार किया जायेगा।

भाग–चार : अर्हताएं

राष्ट्रीयता

7. सेवा मे भर्ती के लिए या आवश्यक है कि अभ्यर्थी :

(क) भारत का नागरिक हो, या

(ख) तिब्बती शरणार्थी हो, जो भारत में स्थायी रूप से निवास करने के अभिप्राय से पहली जनवरी, 1962 के पूर्व भारत में आया हो; या

(ग) भारतीय उदभव का ऐसा व्यक्ति हो जिसने भारत में स्थाई रूप से निवास करने के अभिप्राय से पाकिस्तान, वर्मा, श्रीलंका और पूर्वी अफरीका के देशों केनिया, युगान्डा और यूनाइटेड रिपब्लिक ऑफ तंजानिया (पूर्ववर्ती तांगानिका और जंजीबार) से प्रवजन किया हो :

परन्तु उपयुक्त श्रेणी (ख) या (ग) का अभ्यर्थी ऐसा व्यक्ति हो जिसके पक्ष में राज्य सरकार द्वारा पात्रता का प्रमाण पत्र जारी किया गया हो :

परन्तु यह और कि श्रेणी (ख) के अभ्यर्थी से यह भी अपेक्षा की जायेगी कि वह पुलिस उप महानिरीक्षक, गुप्तचर शाखा, उत्तराखण्ड से पात्रता का प्रमाण पत्र प्राप्त कर लें :

परन्तु यह भी कि यदि कोई अभ्यर्थी उपर्युक्त श्रेणी (ग) का हो तो पात्रता का प्रमाण पत्र एक वर्ष से अधिक अवधि के लिये जारी नही किया जायेगा और ऐसे अभ्यर्थी को एक वर्ष की अवधि के पश्चात् सेवा में तभी रहने दिया जा सकता है जबकि वह भारतीय नागरिकता प्राप्त कर लें।

टिप्पणी :–ऐसे अभ्यर्थी को जिसके मामले में पात्रता का प्रमाण पत्र आवश्यक हो किन्तु वह न तो जारी किया गया हो और न देने से इनका किया गया हो, निगम द्वारा आयोजित किसी परीक्षा में सम्मिलित किया जा सकता है या उसके मामले में ऐसी रीति से जिसके अनुसार निगम भर्ती करने का विनिश्चय करें, नियुक्ति के लिये विचार किया जा सकता है और उसे इस शर्त के अधीन अनन्तिम रूप से नियुक्त किया जा सकता है कि आवश्यक प्रमाण पत्र उसके द्वारा प्राप्त कर लिया जाये या उसके पक्ष में जारी किया जाये।

आयु

8. सीधी भर्ती के लिये यह आवश्यक है कि अभ्यर्थी ने उस भर्ती के वर्ष को जिसमें आयोग द्वारा सीधी भर्ती के लिये रिक्तियाँ विज्ञापित की जायें, पहली जुलाई को 21 वर्ष की आयु पूरी कर ली हो और पश्चात्वर्ती भर्ती वर्ष की पहली जुलाई को 35 वर्ष की आयु न पूरी

की हो :

परन्तु यह कि उत्तराखण्ड राज्य की अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्ग तथा अन्य श्रेणियों के अभ्यर्थियों की दशा में उच्चतर आयु सीमा उतने वर्ष अधिक होगी, जितनी राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर सामान्य आदेशों से विनिर्दिष्ट की जाये।

चरित्र

9. सेवा में किसी पद पर सीधी भर्ती के लिये अभ्यर्थी का चरित्र ऐसा होना चाहिये कि वह उत्तराखण्ड पेयजल निगम की सेवा में सेवायोजन के लिये सभी प्रकार से उपयुक्त हो, नियुक्ति प्राधिकारी इस सम्बन्ध में अपना समाधान कर लेगा।

टिप्पणी– संघ सरकार या किसी राज्य सरकार या किसी स्थानीय प्राधिकारी द्वारा या संघ सरकार या किसी राज्य सरकार के स्वामित्वाधीन या नियंत्रणाधीन किसी निगम या निकाय द्वारा पदच्युत व्यक्ति सेवा में किसी पद पर नियुक्ति के लिये पात्र नहीं होंगे, नैतिक अधमता के किसी अपराध के लिये दोष सिद्ध व्यक्ति भी पात्र नही होंगे।

शारीरिक और मानसिक स्वस्थता

10. किसी भी ऐसे अभ्यर्थी को सेवा में किसी पद पर नियुक्त नहीं किया जायेगा, यदि वह मानसिक और शारीरिक रूप से स्वस्थ नहीं है और किसी ऐसे शारीरिक दोष से मुक्त नहीं है, जिसके कारण उसे अपने कर्तव्यों के दक्षतापूर्वक निर्वहन में हस्तक्षेप की सम्भावना हो। किसी अभ्यर्थी को नियुक्ति के लिये अनुमोदित करने से पूर्व उससे :–

(क) राजपत्रित पद या सेवा के मामले में, उत्तराखण्ड आयुर्विज्ञान परिषद् से स्वस्थता प्रमाण पत्र प्राप्त करना अनिवार्य होगा;

(ख) सेवा में अन्य पदों के मामले में वित्तीय हस्त पुस्तिका खण्ड–दो, भाग–तीन के अध्याय–तीन में समाविष्ट मूल नियम 10 के अधीन बनाये गये नियमों के अनुसार स्वस्थता प्रमाण–पत्र प्रस्तुत करना अपेक्षित है :

परन्तु यह कि पदोन्नति द्वारा नियुक्त अभ्यर्थी के लिए स्वस्थता प्रमाण–पत्र प्रस्तुत करना अपेक्षित नहीं होगा।

तकनीकी अर्हताएं

11. (1) किसी व्यक्ति को सेवा की सिविल शाखा में सीधी भर्ती द्वारा तब तक भर्ती नहीं किया जायेगा जब तक कि :–

(क) वह उक्त प्रयोजन के लिये सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त किसी संस्था या विधि द्वारा स्थापित विश्वविद्यालय से सिविल

अभियन्त्रण में स्नातक अथवा उसके समकक्ष उपाधि न रखता हो;

(ख) उसने अभियंत्रण संस्था इंस्टीट्यूशन ऑफ इंजीनियर्स इण्डिया की सहायक सदस्यता/सदस्यता परीक्षा (एसोसिएट मैम्बरशिप/मैम्बरशिप) का भाग 'ए' और 'बी' उत्तीर्ण न किया हो।

(2) किसी व्यक्ति को सेवा की विद्युत/यॉत्रिक शाखा में सीधी भर्ती द्वारा तब तक भर्ती नही किया जायेगा जब तक कि :–

(क) वह उक्त प्रयोजन के लिये सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त किसी संस्था या विधि द्वारा स्थापित विश्वविद्यालय से विद्युत और या यॉत्रिक अभियन्त्रण में प्रदान की गयी स्नातक अथवा उसके समकक्ष उपाधि न रखता हो;

(ख) उसने विद्युत और/या यॉत्रिक अभियंत्रण संस्था इंस्टीट्यूशन ऑफ इंजीनियर्स इण्डिया की सहायक सदस्यता/सदस्यता परीक्षा (एसोसिएट मैम्बरशिप/मैम्बरशिप) का भाग 'ए' और 'बी' उत्तीर्ण न किया हो।

(3) उत्तराखण्ड पेयजल संसाधन विकास एवं निर्माण निगम के किसी अपर सहायक अभियन्ता या संगणक को विनियम 5(1)(एक)(दो) के अधीन, सहायक अभियन्ता (सिविल या विद्युत/यॉत्रिक) के पद पर, तब तक पदोन्नत नहीं किया जायेगा जब तक कि वह तथास्थिति ऐसी अर्हता परीक्षा जिसे निगम विहित करे, उत्तीर्ण न कर ले या विनियम 5(1) व 5(2) में निहित तकनीकी अर्हता प्राप्त न कर ले।

अधिमानी अर्हताएं 12. अन्य बातों के समान होने पर सीधी भर्ती के मामले में ऐसे अभ्यर्थी को अधिमान दिया जाएगा; जिसने–

(क) प्रादेशिक सेवा में कम से कम दो वर्ष तक सेवा की हो; या

(ख) नेशनल कैडेट कोर का "बी" प्रमाण–पत्र प्राप्त किया हो।

वैवाहिक प्रास्थिति 13. ऐसा पुरूष अभ्यर्थी, जिसकी एक से अधिक पत्नियाँ जीवित हों, सेवा में किसी पद पर नियुक्ति का पात्र न होगा। ऐसी महिला अभ्यर्थी, जिसने ऐसे पुरूष से विवाह किया हो, जिसकी पहले से एक पत्नी जीवित हो, भी नियुक्ति की पात्र न होगी :

परन्तु यह कि निगम किसी भी व्यक्ति को इस विनियम के प्रवर्तन से छूट दे सकता है, यदि उसका समाधान हो जाये कि ऐसा करने के लिए विशेष कारण विद्यमान है।

भाग–पॉच : भर्ती की प्रक्रिया

रिक्तियों की अवधारणा

14. नियुक्ति प्राधिकारी वर्ष के दौरान भरी जाने वाली रिक्तियों की संख्या और विनियम 6 के अधीन अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और नागरिकों के अन्य पिछड़े वर्गो के अभ्यर्थियों के लिये आरक्षित की जाने वाली रिक्तियों की संख्या तथा इनके लिए क्षैतिज आरक्षण अवधारित करेगा और आयोग को सूचित करेगा।

सीधी भर्ती की प्रक्रिया

15. (1) प्रतियोगिता परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति के लिए आवेदन–पत्र आयोग द्वारा जारी विज्ञापन में प्रकाशित विहित प्रपत्र में आमंत्रित किये जायेंगे।

(2) किसी भी अभ्यर्थी को परीक्षा में सम्मिलित नहीं किया जायेगा जब तक कि उसके पास आयोग द्वारा जारी किया गया प्रवेश–पत्र न हो।

(3) लिखित परीक्षा का परिणाम प्राप्त हो जाने और सारणीबद्ध कर लिये जाने के पश्चात् आयोग विनियम 6 के अधीन अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों के अभ्यर्थियों और अन्य श्रेणियों के अभ्यर्थियों का सम्यक् प्रतिनिधित्व सुनिश्चित् करने की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए उतनी संख्या में अभ्यर्थियों को साक्षात्कार के लिए आमंत्रित करेगा, जो इस सम्बन्ध में आयोग द्वारा निर्धारित स्तर तक पहुंच सके हों। साक्षात्कार में प्रत्येक अभ्यर्थी को प्रदान किये गये अंकों को लिखित परीक्षा में उसके द्वारा प्राप्त किये गये अंकों में जोड दिया जायेगा।

(4) आयोग अभ्यर्थियों की उनकी प्रवीणता कम में जैसा कि लिखित परीक्षा और साक्षात्कार में प्रत्येक अभ्यर्थी द्वारा प्राप्त किये गये अंकों के कुल योग से प्रकट हो, एक सूची तैयार करेगा और उतनी संख्या में अभ्यर्थियों को जितनी वह नियुक्ति के लिए उचित समझे, संस्तुत करेगा। यदि दो या अधिक अभ्यर्थी कुल योग में बराबर–बराबर अंक प्राप्त करें तो लिखित परीक्षा में अधिक अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थी का नाम सूची में ऊपर रखा जायेगा। आयोग सूची नियुक्ति प्राधिकारी को अग्रसारित करेगा।

फीस

16. सीधी भर्ती के लिये अभ्यर्थी, आयोग को और चिकित्सा परिषद् को ऐसी फीस का भुगतान करेगा, जो सरकार द्वारा समय–समय पर विहित की जाये। फीस की वापसी के लिये कोई भी दावा स्वीकार नहीं किया जायेगा।

पदोन्नति द्वारा भर्ती की प्रकिया

17. (1) सहायक अभियन्ता से अधिशासी अभियन्ता के पद पर चयन अनुपयुक्त को अस्वीकार करते हुए ज्येष्ठता के आधार पर की जायेगी। इस हेतु चयन समिति गठित की जायेगी, जिसमें निम्नलिखित होंगे :–

(क) प्रबन्ध निदेशक, उत्तराखण्ड पेयजल निगम	अध्यक्ष
(ख) मुख्य अभियन्ता, (मुख्यालय), उत्तराखण्ड पेयजल निगम	सदस्य
(ग) महाप्रबन्धक, (मुख्यालय), उत्तराखण्ड पेयजल निगम	सदस्य
(घ) अध्यक्ष द्वारा नामित अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति का एक अधिकारी।	सदस्य

(2) अधीक्षण अभियन्ता (सिविल अथवा विद्युत/यॉत्रिक) के पदों पर पदोन्नति द्वारा चयन श्रेष्ठता के आधार पर होगा। अधीक्षण अभियन्ता के पदों पर भर्ती शासन द्वारा गठित चयन समिति के माध्यम से की जायेगी। इस हेतु चयन समिति गठित की जायेगी, जिसमें निम्नलिखित होंगे :–

(क) प्रमुख सचिव/सचिव, पेयजल विभाग, उत्तराखण्ड शासन	अध्यक्ष
(ख) प्रमुख सचिव/सचिव, कार्मिक विभाग, उत्तराखण्ड शासन या उनके द्वारा नामनिर्दिष्ट अधिकारी।	सदस्य
(ग) प्रबन्ध निदेशक, उत्तराखण्ड पेयजल निगम	सदस्य
(घ) मुख्य अभियन्ता (मुख्यालय), उत्तराखण्ड पेयजल निगम	सदस्य
(ङ) प्रमुख सचिव/सचिव, पेयजल विभाग, उत्तराखण्ड शासन द्वारा नामित अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति का एक अधिकारी।	सदस्य

(3) मुख्य अभियन्ता स्तर–दो के पदों पर पदोन्नति द्वारा चयन श्रेष्ठता के आधार पर होगा। मुख्य अभियन्ता स्तर–दो के पदों पर भर्ती शासन द्वारा गठित चयन समिति के माध्यम से सार्वजनिक उद्यम विभाग द्वारा की जायेगी। इस हेतु चयन समिति गठित की जायेगी, जिसमें निम्नलिखित होंगे :–

(क) प्रमुख सचिव/सचिव, सार्वजनिक उद्यम विभाग, उत्तराखण्ड शासन;

(ख) प्रमुख सचिव/सचिव, कार्मिक विभाग, उत्तराखण्ड शासन;

(ग) प्रमुख सचिव/सचिव, पेयजल विभाग, उत्तराखण्ड शासन;

(घ) प्रमुख सचिव/सचिव, पेयजल विभाग, उत्तराखण्ड शासन द्वारा नामित अनुसूचित जाति/जनजाति का एक सदस्य,.

(वरिष्ठतम प्रमुख सचिव/सचिव समिति के अध्यक्ष होंगे।)

चयन की प्रकिया

18. (1) नियुक्ति प्राधिकारी, चयन समिति के समक्ष पात्र अधिकारियों की पात्रता सूची प्रस्तुत करेंगे।

(2) चयन समिति अभ्यर्थियों की चरित्र पंजिकायें, प्रशिक्षण प्रमाण पत्रों और अन्य ऐसे सेवा से सम्बन्धित अभिलेखों के, जो उचित समझे जायें के आधार पर चयन करेगी।

(3) चयन समिति, चयन किये गये अभ्यर्थियों की एक सूची तैयार करेगी जिसमें उनके नाम, जिन पदों से उनका चयन किया गया हो, उन पर उनकी ज्येष्ठता के क्रम में रखे जायेंगे। सूची में नामों की संख्या रिक्तियों की संख्या के अनुसार शासन द्वारा निर्धारित प्रकिया के अनुसार होगी। उक्त सूची चयन वर्ष (एक जुलाई से अगले वर्ष 30 जून) तक मान्य रहेगी।

(4) पदोन्नति द्वारा चयन हेतु उत्तराखण्ड राज्य की उत्तराखण्ड (लोक सेवा आयोग की परिधि के बाहर) राज्याधीन सेवाओं में "अनुपयुक्त को अस्वीकार करते हुए ज्येष्ठता" एवं "श्रेष्ठता" के आधार पर पदोन्नति द्वारा किये जाने वाले चयनों में अपनाये जानें वाली प्रक्रिया नियमावली, 2009 में उल्लिखित चयन प्रक्रिया के अनुसार चयन की कार्यवाही सम्पन्न की जायेगी।

भाग–छः : नियुक्ति, परिवीक्षा, स्थायीकरण और ज्येष्ठता

नियुक्ति

19. रिक्तियाँ होने पर विभिन्न श्रेणी के पदो पर नियुक्तियाँ यथास्थिति, विनियम 14, 15 एवं 17 के अधीन तैयार की गयी सम्बन्धित सूचियों से की जायेगी।

परिवीक्षा

20. (1) सेवाओं में सीधी भर्ती द्वारा नियुक्ति किए जाने पर प्रत्येक व्यक्ति दो वर्ष की अवधि के लिए परिवीक्षा पर रखा जायेगा :

परन्तु यह कि नियुक्ति प्राधिकारी किसी व्यक्ति विशेष के मामले के पर्याप्त कारणों से, जो अभिलिखित किए जायेंगे दो वर्ष से अनधिक अवधि के लिए परिवीक्षा अवधि बढ़ा सकता है। समयावधि बढ़ाने के ऐसे आदेश में यह ठीक अवधि लिखी जायेगी, जब तक के लिए उक्त

अवधि बढ़ायी गयी हो।

(2) यदि परिवीक्षा अवधि अथवा बढ़ायी गयी परिवीक्षा अवधि में किसी समय यह पाया जाये कि परिवीक्षाधीन व्यक्ति ने अपने अवसरों का पर्याप्त उपयोग नहीं किया है अथवा अन्य किसी प्रकार से उस कार्य स्तर के सम्बन्ध में, जिसे उससे अपेक्षा की जाती है, संतुष्ट करने में असफल रहा है, तो उसकी सेवायें यदि वह सीधी भर्ती से लिया गया हो, समाप्त की जा सकती है, जिसके लिए वह किसी नोटिस अथवा प्रतिकर का हकदार न होगा।

स्थायीकरण 21. कोई परिवीक्षाधीन व्यक्ति परिवीक्षा अवधि अथवा बढ़ायी गयी परिवीक्षा अवधि के अन्त में पद पर स्थायी कर दिया जायेगा, यदि उसका कार्य और आचरण सन्तोषजनक हो और उसकी सत्यनिष्ठा प्रमाणित की जाये।

संयुक्त चयन सूची 22. जब सहायक अभियन्ताओं के पद पर दोनों ही, सीधी भर्ती और पदोन्नति द्वारा, चयन किया जाना हो तब नामों को ऐसी रीति से रखकर एक संयुक्त सूची तैयार की जायेगी कि पहला नाम पदोन्नति किये गये व्यक्तियो की सूची के अभ्यर्थी का होगा और उसके बाद दूसरा नाम ऐसे अभ्यर्थियो की सूची से होंगे, जो सीधे भर्ती किये जायेंगे। पदो की संख्या के अनुसार क्रम निम्न प्रकार होगा :–

1 – पी (डिग्री / ए0एम0आई0ई)
2 – पी (डिप०)
3 – डी
4 – पी (डिप०)
5 – डी
6 – पी (डिप०)
7 – डी
8 – पी (डिप०)
9 – डी
10 – पी (डिप०)

यही क्रम आगे लागू होगा। संगणक से पदोन्नत व्यक्ति व्यक्ति पी (डिग्री / ए0एम0आई0ई) के अर्न्तगत 1 : 3 के अनुपात मे रखा जायेगा।

ज्येष्ठता

23. (1) प्रतियोगिता के माध्यम से सहायक अभियन्ता के पद पर सीधी भर्ती किये गये व्यक्तियों की, जिन्हें विनियम 22 के अन्तर्गत 'डी' के रूप में निर्दिष्ट किया गया है, परस्तर ज्येष्ठता वही होगी, जो समिति द्वारा प्रतियोगितात्मक चयन के समय अवधारित की गयी हो।

टिप्पणी :– यदि सीधी भर्ती किया गया कोई अभ्यर्थी, किसी युक्तियुक्त कारण के बिना, अपने पद का कार्यभार ग्रहण करने में, असमान्यता अधिक समय लेता है, तो नियुक्ति प्राधिकारी उसे कोटिक्रम सूची में, अन्य अभ्यर्थियों के नीचे रख सकता है।

(2) सहायक अभियन्ता के पद पर पदोन्नति द्वारा भर्ती किये गये व्यक्तियों की परस्पर ज्येष्ठता वही होगी, जो सहायक अभियन्ता के पद पर, जिन्हें विनियम 22 के अन्तर्गत 'पी' के रूप में निर्दिष्ट किया गया है, पदोन्नति के समय उसके द्वारा अपर सहायक अभियन्ता (सिविल, विद्युत/यॉंत्रिक)/संगणक के पद पर रही हो।

(3) 'पी' और 'डी' श्रोतों में भर्ती किये गये सहायक अभियन्ताओं की परस्पर ज्येष्ठता के प्रयोजनार्थ, किसी विशिष्ट वर्ष में रिक्तियों का आवटन यथासम्भव क्रमशः 40 प्रतिशत (डी) के अभ्यर्थियों और 60 प्रतिशत (पी) के अनुपात में लिया जायेगा और सहायक अभियन्ता के रूप में उनकी पारस्परिक ज्येष्ठता विनियम 22 के अनुसार रहेगी।

(4) अधिशासी अभियन्ता, अधीक्षण अभियन्ता या मुख्य अभियन्ता के पद पर पदोन्नत व्यक्तियों की परस्पर ज्येष्ठता वही होगी, जो पदोन्नति के समय उनके द्वारा पोषक संवर्ग में रही हो।

(5) उपविनियम (1) में निर्दिष्ट संयुक्त–ज्येष्ठता–सूची के प्रयोजनार्थ अधीक्षण अभियन्ता (सिविल) और अधीक्षण अभियन्ता (यॉंत्रिक) की परस्पर ज्येष्ठता यथास्थिति, सहायक अभियन्ता (सिविल) या सहायक अभियन्ता (यॉंत्रिक) के पद पर नियमित नियुक्ति के दिनांक के अनुसार, अवधारित की जायेगी। यदि दो या अधिक व्यक्ति एक ही दिनांक को सहायक अभियन्ता के पद पर नियमित रूप से नियुक्त किये जायें, तो ऐसे व्यक्ति को जिसे अधीक्षण अभियन्ता के पद पर पहले नियमित रूप से नियुक्त किया जाये, ज्येष्ठ समझा जायेगा।

(6) इस विनियमावली के प्रख्यापन के दिनाँक को प्रतिनियुक्ति पर कार्यरत व्यक्ति को इस निगम में रिक्त पद के विरूद्व नियुक्त करने की दशा में ऐसे व्यक्ति को नियुक्ति के समय संवर्ग के सदस्यों के नीचे रखा

जायेगा। उनकी पारस्परिक ज्येष्ठता उनकी पूर्व पदों पर मौलिक रूप से नियुक्त होने के क्रम में रहेगी अर्थात् जो मौलिक रूप से पहले नियुक्त हुआ वह ज्येष्ठ होगा। यदि दो व्यक्ति एक ही दिनांक को मौलिक रूप से नियुक्त हों तो जो आयु में ज्येष्ठ होगा उसे ज्येष्ठता में ऊपर रखा जायेगा।

भाग–सात : वेतनमान आदि

वेतनमान

24. (1) सेवा के संवर्ग मे सम्मिलित विभिन्न पदों का वेतनमान समय–समय पर अवधारित किया जायेगा।

(2) इस विनियमावली के समय प्रवृत्त वेतनमान/पदों की संख्या **परिशिष्ट 'ख'** में दी गई है।

परिवीक्षा अवधि में वेतन

25. परिवीक्षाधीन व्यक्ति को, यदि वह पहले से जल संस्थान की सेवा में न हो, परिवीक्षा अवधि में, प्रथम वर्ष में पद का न्यूनतम वेतन और वेतन वृद्धियाँ, जब वह देय होती है, दी जायेगी :

परन्तु यह कि यदि परिवीक्षा की अवधि उसके असन्तोषजनक कार्य के कारण बढ़ाई जाती है तो बढ़ाई गयी अवधि की गणना, वेतन वृद्धि में नहीं की जायेगी, जब तक कि नियुक्ति प्राधिकारी इस सम्बन्ध में कोई अन्यथा आदेश न पारित करें।

भाग–आठ : अन्य उपबन्ध

पक्ष समर्थन

26. भर्ती के लिए इस नियमावली के अधीन अपेक्षित सिफारिशों से भिन्न सिफारिशों पर चाहे वे लिखित हों या मौखिक विचार नहीं किया जायेगा। किसी अभ्यर्थी का प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से अपनी अभ्यर्थता के लिए अन्य उपायों द्वारा समर्थन प्राप्त करने का प्रयास उसे नियुक्ति के लिए अनर्ह कर देगा।

राज्य की सुरक्षा

27. इस विनियमावली में किसी बात के होते हुए भी, जहाँ राज्यपाल का यह समाधान हो जाये कि राज्य की सुरक्षा के हित में या आन्तरिक सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए, उत्तराखण्ड पेयजल संसाधन विकास एवं निर्माण निगम के किसी अधिकारी या कर्मचारी की (चाहे वह स्थायी हो या अस्थायी) सेवाओं को, बिना किसी जाँच के समाप्त करना समीचीन है और अधिकारी या कर्मचारी को पदच्युत करने या सेवा से हटाने का तद्नुसार निगम को निर्देश दे, वहाँ निगम उसकी सेवाओं को

इस प्रकार समाप्त कर देगा और ऐसे अधिकारी या कर्मचारी को इस प्रकार सेवा समाप्त किये जाने के लिए, किसी प्रतिकर का कोई अधिकार नही होगा।

सेवा की शर्तों मे शिथिलता

28. जहाँ निगम का यह समाधान हो जाये कि सेवा मे नियुक्त व्यक्तियों की सेवा की शर्तो को विनियमित करने वाले किसी विनियम के प्रवर्तन से, किसी विशिष्ट मामले में, अनुचित कठिनाई होती है, वहाँ निगम, उस मामले में, प्रयोज्य विनियम में किसी बात के होते हुए भी, आदेश द्वारा, उस विनियम की उपेक्षाओं को उस सीमा तक और ऐसी शर्तों के अधीन रहते हुए, जिन्हें वह उस मामले में न्याय संगत और साम्यपूर्ण रीति से कार्यवाही करने के लिए सक्षम स्तर से अनुमोदन लेकर आवश्यक समझे, अभिमुक्त या शिथिल कर सकता है।

आज्ञा से,

प्रबन्ध निदेशक,
उत्तराखण्ड पेयजल संसाधन विकास
एवं निर्माण निगम।

परिशिष्ट 'क'

{कृपया विनियम 4 का उपविनियम (2) देखें}

क्र0सं0	पदनाम	वेतनमान (₹ में)	पदों की संख्या
1	2	3	4
1.	मुख्य अभियन्ता स्तर–2	37400–67000 + 8900 (ग्रेड पे)	4
2.	अधीक्षण अभियन्ता (सिविल)	37400–67000 + 8700 (ग्रेड पे)	14
3.	अधीक्षण अभियन्ता (विद्युत / याँत्रिक)	37400–67000 + 8700 (ग्रेड पे)	3
4.	अधिशासी अभियन्ता (सिविल)	15600–39100 + 6600 (ग्रेड पे)	58
5.	अधिशासी अभियन्ता (विद्युत / याँत्रिक)	15600–39100 + 6600 (ग्रेड पे)	8
6.	सहायक अभियन्ता (सिविल)	15600–39100 + 5400 (ग्रेड पे)	191
7.	सहायक अभियन्ता (विद्युत / याँत्रिक)	15600–39100 + 5400 (ग्रेड पे)	28

****

परिशिष्ट 'ख'

{कृपया विनियम 24 का उपविनियम (2) देखें}

क्र0 स0	पदनाम	वेतनमान (₹ में)	पदों की संख्या
1.	मुख्य अभियन्ता (सिविल) स्तर–2	37400–67000 + 8900 (ग्रेड पे)	4
2.	अधीक्षण अभियन्ता (सिविल)	37400–67000 + 8700 (ग्रेड पे)	14
3.	अधीक्षण अभियन्ता (विद्युत / यॉंत्रिक)	37400–67000 + 8700 (ग्रेड पे)	3
4.	अधिशासी अभियन्ता (सिविल)	15600–39100 + 6600 (ग्रेड पे)	58
5.	अधिशासी अभियन्ता (विद्युत / यॉंत्रिक)	15600–39100 + 6600 (ग्रेड पे)	8
6.	सहायक अभियन्ता (सिविल)	15600–39100 + 5400 (ग्रेड पे)	191
7.	सहायक अभियन्ता (विद्युत / यॉंत्रिक)	15600–39100 + 5400 (ग्रेड पे)	28

****